प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 09.07.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।**
- **दिनांक 03.07.2025 को सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना में भी शामिल था अभियुक्त।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलाह और कारतूस व व्यापारी के साथ की गई लूट का सामान बरामद हुआ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.07.2025 को वादी विवेक तिवारी पुत्र स्व0 सुधीर तिवारी निवासी ग्राम हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना भोगनीपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी की मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE नं0 UP77AE1354 अज्ञात चोरों ने भारतीय स्टेट बैंक भोगनीपुर के बगल में वादी की दुकान के पास से चोरी कर ली गयी, के सम्बन्ध में, थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 225/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया। थाना भोगनीपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भोगनीपुर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोर पिलखिनी की तरफ जाने वाले हैं, जिस पर भोगनीपुर पुलिस द्वारा टीम बनाकर चोरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गयी, जिसमें रनियां डेरा बम्बा वाली सड़क पर चोरों ने अपने आपको घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसपर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त 1. रामकुमार पुत्र महावीर संखवार निवासी ग्राम ठेनामऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया तथा घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग, 2600/- रूपये नगद, एक पन्नी में सफेद धातु की 13 जोडी तोड़िया व 01 अदद मोटर साइकिल HERO HF DELUXE UP77AE1354 बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत 225/2025 धारा 303(2) BNS में धारा 317(2)/109(1) बीएनएस व 3/आर्म्स एक्ट 25 की बढोत्तरी की गयी तथा दिनांक 03.07.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 218/2025 धारा 309(6) में धारा 109(1)/317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. रामकुमार पुत्र महावीर संखवार निवासी ग्राम ठेनामऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ये जो चाँदी के आभूषण है ये मैने अपने दोस्त अनफासुल हसन, हर्षित गौतम व योगेश गुप्ता के साथ प्लानिंग कर दिनांक 03.07.2025 को पिपरी मोड से अमरौधा को जाने वाले रास्ते पर मदरसे के पहले से अमरौधा के एक सुनार जो पुखरायाँ से अमरौधा मोटरसाइकिल से जा रहा था से चांदी व सोने का सामान व मोबाइल लूट लिया था। चाँदी न बिक पाने के कारण मै व अनफासुल ने अपने हिस्से के चाँदी के गहने ले लिये थे। सोना बेचकर हम लोगों के हिस्से में 40- 40 हजार रुपये मिले थे तथा शेष रुपये हर्षित गौतम उर्फ राज व योगेश गुप्ता ने ले लिया था। मेरे हिस्से में जो रुपये मिले थे उनमे से सिर्फ यही 2600/- रुपये बचे है बाकी हमने खर्च कर दिये है। आज मैं व अनफासुल हसन अपने-अपने हिस्से के चाँदी के आभूषण पुखरायाँ में बेचने के लिये आये थे किन्तु बेचने का जुगाड़ नहीं बन पाया तो खाली हाथ जाने से बेहतर हम दोनों ने स्टेट बैंक भोगनीपुर के पास से यही मोटरसाइकिल चोरी कर लिये थे।

भागे हुए अभियुक्त अनफासुल हसन की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बरामदगी का विवरण –

01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक मिस कारतूस 315 बोर व एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग व बरामद 2600/- रूपये नगद व एक पन्नी में सफेद धातु की 13 जोडी तोड़िया वजन करीब 255 ग्राम व एक अदद मोटर साइकिल HERO HF DELUXE UP77AE1354 बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोगनीपुर पुलिस